

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

अलसीराम वनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 85/2021

निर्णय दिनांक :- 15.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबखु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व भू अधिनियम- 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 5 एफ ए
की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 4/6 में अंकित नाम अलसीराम पुत्र गोरधन
उर्फ मनीराम कौम कुम्हार साकिन थैडी करनपुर खातेदार के स्थान पर अलसीराम पुत्र गोरधन उर्फ
मनीराम कौम मेघवाल साकिन थैडी करनपुर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस
खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 15.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 17/11/21

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 445
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर